न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 54 / 2024

1 उम्मेद सिंह आयु 50 साल पुत्र स्व. रामसिंह
2 खेतसिंह आयु 44 साल पुत्र स्व. रामसिंह
3 विक्रय सिंह आयु 37 साल पुत्र स्व. रामसिंह
4 श्रीमती समन्दर कंवर आयु 70 साल पत्नी स्व. रामसिंह जाति राजपूत पेशा कृषि निवासी ग्राम व पोस्ट मोरवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 भगवान सिंह आयु करीब 65 साल पुत्र स्व. शिशपाल जाति राजपूत निवासी ग्राम व पोस्ट मोरवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
दिनांक 25.04.2024 बमुकदमा उनवानी भगवानसिंह बनाम उम्मेदसिंह
वगै. आवेदन पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 मु.नं. 149 / 2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 149/2020 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भगवान सिंह ने आवेदन पत्र पेशकर कथन किया कि जमीन खसरा नम्बर 496/345 रकबा 0.6500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 144 रकबा 0.07 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरवा खातेदार है। उक्त आवेदन पत्र में यह भी दर्ज किया कि खसरा नम्बर 345 रकबा 0.5900 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 344 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुआ वाके ग्राम मोरवा अपीलान्टस की खातेदारी की है। उक्त कथन कर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भगवानसिंह ने अपीलान्टस की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 345 के पश्चिमी भाग में से उत्तर से दक्षिण खसरा नम्बर 496/345 की उत्तरी सींव तक 12 फुट चौड़ा रास्ता दिलाने की मांग की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ ने दिनांक 25.04.2024 को 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने दिनांक 02.09.2020 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का आवेदन पत्र दर्ज करने का आदेश देकर तहसीलदार सूरजगढ़

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को मौका जांच कर रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी करने का आदेश दिया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सूरजगढ़ ने विवादित स्थल का मौका मुआयना नहीं किया। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.01.2021 के बाबत गलत तथ्य दर्ज किये है। विचारण न्यायालय की मिसल में दिनांक 04.01.2020 की रिपोर्ट व नक्शा तहसीलदार सूरजगढ़ को संबोधित कर लगा हुआ है। जिस पर तहसीलदार ने पत्र द्वारा रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जिसमें तहसीलदार ने उल्लेख किया कि भू–अभिलेख निरीक्षक पिलानी से मौके की रिपोर्ट लेकर भेजी जा रही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने भू–अभिलेख निरीक्षक को रिपोर्ट पेश करने के लिए अधिकृत ही नहीं किया था। बिना तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट के ही निर्णय दिनांक 25.04.2024 को पारित करने में भूल की है। राजस्थान टिनेन्सी (गोवरमेन्ट) रूल्स 1955 के रूल 69 की पालना नहीं की गई है। इसके अनुसार न तो विचारण न्यायालय ने स्वयं ने मौका देखा व न तहसीलदार सूरजगढ़ से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की व न ही भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पर अपीलान्टस की आपति ली गई। भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी मौके के लिए अपीलान्टस को न तो नोटिस जारी किया व न ही अपीलान्टस की मौजुदगी में मौका देखा गया इस कारण भी तथाकथित रिपोर्ट शुन्य है व निर्णय विधि विरूद्ध है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 04.01.2020 में खसरा नम्बर 345 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ का स्थगन प्रभावी होना दर्ज किया है। जमीन खसरा नम्बर 497/345 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के सगे भाई की खातेदारी की है इसके पश्चिमी में अपीलान्टस की जमीन खसरा नम्बर 496/345 है व खसरा नम्बर 497/345 के पूर्व में उत्तर से दक्षिण रास्ता है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भगवानसिंह व अपीलान्टस नम्बर 1 से 3 के पिता रामसिंह व अमरसिंह सगे भाई थे। उक्त रास्ते के कारण विभाजन में खसरा नम्बर 345 में से रास्ता कायम नहीं किया गया। अपीलान्टस ने आवेदन पत्र का जवाब मय शपथ पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया व रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की जिसको दिनांक 16.04.2024 को खारिज कर बिना साक्ष्य का मौका दिये ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय दिनांक 25.04.2024 को गलत पारित कर दिया जो विधिवत नहीं है। जमीन खसरा नम्बर 494/343 में रास्ता खसरा नम्बर 424/252 है। इससे फटकर दक्षिणी सींव के सहारे सहारे होकर व रास्ता खसरा नम्बर 566/356 से फटकर खसरा नम्बर 497/345 की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे होकर रास्ता रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के लिये है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के लिये दो रास्ते उक्त वर्णित है। जिसमें में एक रास्ता उसके सगे भाई अमरसिंह की पत्नी श्रीमती पतासी व लड़के रणजीत सिंह व राजेन्द्र सिंह के खेत की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे होकर है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर अपूर्ण तथ्य दर्ज किये है। इस कारण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के आवेदन पत्र में वाद कारण दर्ज नहीं है। खसरा नम्बर 497/345 व खसरा नम्बर 494/343 की स्थिति व खातेदीर की व रास्ते की स्थिति को छुपाया है। अपीलान्ट की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 344 रकबा 0.07 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरवा अपीलान्ट का टुवेल है जिसमें विद्युत कनेक्शन है व इस टुवेल के दक्षिण में खसरा नम्बर 345 में पश्चिमी दक्षिणी भाग में अपीलान्टस रिहायशी मकानात बनाकर आबाद है। जिसमें विद्युत कनेक्शन है। अपीलान्टस के सगे चाचा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्टस के खेत के टुकड़े करने के लिये गलत आवेदन पत्र पेश किया है। जमीन खसरा नम्बर 565/345 रकबा 0.05 हैक्टेयर अपीलान्टस की खातेदारी में है रास्ते का अंकन गलत किया गया व इसको चुनौती दे रखी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व/2020/05 दिनांक 07.01.2021 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित खसरा नम्बर भूमि खसरा नम्बर 496/345 ग्राम मोरवा में आने जाने के लिए अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 की भूमि खसरा नम्बर 345 रकबा 0.5900 हैक्टेयर में से प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 496/345 की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

उत्तरी सीमा तक कटानी रास्ता खसरा नम्बर 565/345 से प्रार्थी की भूमि तक नजरी नक्शे में बिन्दु ई से एफ 48 मीटर चौड़ाई दर्शाया गया है, को नया रास्ता कुल भूमि क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर कायम किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है। विचाराधीन निर्णय धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर पारित किया गया है। विचाराधीन निर्णय की पालना हो चुकी है। मौके पर पक्की डामर सड़क का निर्माण किया जा चुका है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा 345/496 के लिए खसरा नम्बर 345 में से ई से एफ के लिए रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इस मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि खसरा नम्बर 345 व खसरा नम्बर 494/343 पर मुकदमा नम्बर 112/2020 में उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ का स्थगन प्रभावी है। इस मौका रिपोर्ट में दो अन्य वैकल्पिक मार्ग भी प्रस्तावित किये गये है। विचाराधीन प्रस्तावित मार्ग के कारण अपीलांट के खेत में से 3 रास्ते कायम हो जाते है। विचारण न्यायालय ने इन सम्पूर्ण तथ्यों पर विवेचन किये बिना अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार किये बिना, आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार से उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर आपत्ति का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 6.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)